स्थायी वित्त निर्देश 16 / 2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 315/एल 2025–04–00457/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/5/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भः–1.ज्ञापन क्रमांक 304/सी–30974/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30 सितम्बर 2010 (वित्त निर्देश 36/2010)

2.ज्ञापन क्रमांक 72/एल 2014–71–00331/वि/नि/चार, दिनांक 24 मार्च, 2015 (वित्त निर्देश 8/2015)

-----00-----

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने के सशर्त निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा **संदर्भित ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए**, निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है :–

2. शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के आधार पर बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/– (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए। शासकीय सेवक को एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर अनुग्रह अनुदान की पात्रता होगी।

3. उपरोक्त क्रमांक–2 के अनुसार पात्र शासकीय सेवकों को अनुग्रह अनुदान निम्नांकित स्थितियों में देय होगी :–

(अ) जब वह कर्तव्य पर हो,
(ब) जब वह विधिवत् स्वीकृत अवकाश पर हो,
(स) भारत शासन द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हो,
(द) शासन द्वारा किसी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया हो,
(इ) कार्य ग्रहण काल में हो,

टीपः– शासकीय सेवक द्वारा की गई आत्महत्या को भी इस उद्देश्य के लिये नैसर्गिक मृत्यु माना जायेगा। कर्तव्य से घर लौटते हुए दुर्घटना से या अन्य कारण से रास्ते में मृत्यु होने तथा सार्वजनिक अवकाश की अवधि में मृत्यु होने पर भी इसकी पात्रता होगी।

4. अनुग्रह अनुदान की पात्रता दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को निम्न क्रम में होगी :–

1. पति या पत्नी, एक से अधिक विधवा जीवित होने की दशा में देय राशि उनके बीच बराबर हिस्से में बांटी जायेगी।
2. मृत शासकीय सेवक का ज्येष्ठ पुत्र,
3. मृत शासकीय सेवक की अविवाहित पुत्री,
4. अविवाहित कर्मचारी पर आश्रित पिता/माता,

टीपः– **यदि पति/पत्नी दोनो शासकीय सेवक हैं तो किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। परिवार के किसी सदस्य के न होने पर कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी निकटतम संबंधी को भुगतान किया जाएगा।**

5. अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. मृत्यु के 15 दिनों के भीतर अनुदान का भुगतान किया जायेगा,
2. यदि शासकीय सेवक राजपत्रित है तो उसके कार्यालय प्रमुख द्वारा तथा यदि अराजपत्रित है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी।
3. यदि शासकीय सेवक स्वयं कार्यालय प्रमुख है तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जायेगा।
4. सचिवालय के सभी श्रेणी के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
5. प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजे गये शासकीय सेवक के प्रकरण में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जायेगा।

6. अनुदान उसी लेखा शीर्ष को विकलित किया जायेगा, जिससे शासकीय सेवक के मृत्यु के पूर्व वेतन, भत्ते आहरित होते थे।

कार्यालय प्रमुख द्वारा मृत्यु की सूचना जिलाध्यक्ष, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, महालेखाकार, विभागाध्यक्ष तथा शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 316/एल 2025–04–00457/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग